संरक्षा शाखा
सोलापुर मंडल

Safety Branch
Solapur Division

संरक्षा परिपत्र
Safety Circular
19/2018-19

विषय : तोड फोड या गाडी को नुकसान पहुंचाने के मामलों में कार्यविधि ।

Sub:- Procedure for dealing with cases of sabotage or train wrecking.

दिनांक/Date : 30.01.19

मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
संरक्षा शाखा, सोलापुर

संख्या : सोला/एसएफटी/103

दिनांक:30.01.19

संरक्षा परिपत्र क्र.19/2018-19

सभी संबंधित - सोलापुर मंडल

विषय : तोड-फोड़ या गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के मामलों में कार्यविधि।

संदर्भ : दुर्घटना नियमावली 2003 और सामान्य एवं सहायक नियम 1999.

***

लोको पायलट या गार्ड को निकटवर्ती लाइन पर अवरोध, ट्रैक की किसी असामन्य स्थिति के महसूस होने पर या तोडफोड, गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की सूचना प्राप्त होने पर निम्नलिखित नियमों के उध्दरण का पालन किया जाएं।

(क) दुर्घटना नियमावली अध्याय V के अनुसार

501.	**सामान्य :** इस अध्याय के अनुदेश, अतिरिक्त अनुदेश है और इनका संबंध गाड़ी के पटरी से उतर जाने और या गंभीर परिणामों वाले अन्य मामलों से है, जो तोड़-फोड़ अथवा गाड़ी को नुकसान पहुंचाने से हुए हों। रेलपथ या उपकरणों के तोड़-फोड़ के मामलों की सूचना, भले ही उनसे कोई दुर्घटना न हुई हो, रेलवे बोर्ड को देनी पड़ती है। ऐसे मामले वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, मंडल संरक्षा अधिकारी और मंडल रेल प्रबंधक सहित संबंधितों के ध्यान में तुंरत लाना चाहिए। पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों को भी ऐसे मामलों की सूचना देनी चाहिए, और उनकी जाँच-पड़ताल में उनको आवश्यक सहयोग देना चाहिए।
502.	**गाड़ी के पटरी से उतरने या किसी अन्य गंभीर परिणामवाली दुर्घटना जिसमें तोड़-फोड़ की आशंका होने पर गार्ड सहित, इंजन कर्मचारियों और अन्य रेलवे कर्मचारियों के कर्तव्य :** ऐसी दुर्घटना जिसमें गाड़ी के पटरी से उतरने और / या ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति जिसमें तोड-फोड़ अथवा गाड़ी को नुकसान पहुंचाये जाने की आशंका होने की स्थिति में गाड़ी में मौजूद गार्ड तथा इंजन कर्मचारी और अन्य रेलवे कर्मचारी – (1) गाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। (2) दुर्घटना की सूचना नियंत्रण कार्यालय / निकटवर्ती स्टेशन को देंगे। (3) घायलों को प्रथमोपचार देंगे। (4) गाड़ी में यात्रा करने वाले जिम्मेदार यात्रियों के साथ रेलपथ की सावधानी से जांच करेंगे और उसके परिणाम लिखकर उन पर उनके हस्ताक्षर लेंगे। (5) रेलपथ के भागों, पटरियों, फिशप्लेटों, बोल्टों तथा अन्य फिटिंगों जिनमें गड़बड़ी की गई प्रतीत हो, को सिविल और पुलिस अधिकारियों के आने तक किसी भी व्यक्ति को छूने या हटाने नहीं देंगे और उनकी भलीभांति देखरेख करेंगे। **टिप्पणी-** (1) यदि गाड़ी में कोई रेल अधिकारी या निरीक्षक हो तो उपरोक्त कार्य की जिम्मेदारी उस पर होगी। (2)जब कभी किसी यात्री या अन्य किसी व्यक्ति से सहायता ली जाए, तो उनके नाम और पते रिकार्ड में अवश्य लिख लेने चाहिए ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके।
503.	**सिविल और पुलिस अधिकारियों को सूचना :** तोड़-फोड़ या गाड़ी को नुकसान पहुंचाये जाने का आशंका वाले स्थान के निकटवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर को स्थानीय सिविल पुलिस, जीआरपी और रेल सुरक्षा बल अधिकारियों को शीघ्रतम उपलब्ध साधनों से सूचना देनी चाहिए और उन्हें दुर्घटना-स्थल पर जल्दी-से-जल्दी पहुंचने में सभी सहायता देनी चाहिए।
504.	**इंजीनियरी पर्यवेक्षकों द्वारा सावधानी :** तोड़-फोड़ या गाड़ी को नुकसान पहुंचाये जाने का आशंका वाले स्थल पर जाते समय, सहायक इंजीनियर / सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) को नीचे दी गई सावधानियाँ बरतनी चाहिए :- (1) घटना-स्थल की ओर जाने वाले गैंगमैन को सबसे पहले यह अनुदेश देने चाहिए कि वे अपने साथ कोई औजार न ले जाए। (2) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घटना-स्थल पर भेजी गई गैंगमैनो की औजार पेटियाँ तब तक न खोली जाएं जब तक कि पुलिस ने उनकी जाँच न कर ली हो। (3) उन्हें यह अनुदेश देना चाहिए कि वे तोड़-फोड़ या गाड़ी को नुकसान पहुंचाये जाने की आशंका वाले क्षेत्र में रेलपथ के किसी भी भाग, पटरियों, फिशप्लेटों, बोल्टो और अन्य फिटिंग में तब तक हाथ न लगायें या न हटायें जब तक रेलवे, सिविल तथा पुलिस अधिकारियों ने उनका निरीक्षण न कर लिया हो और उनकी फोटो न ले ली गई हो।

505. **अधिकारियों और अन्य पर्यवेक्षकों के कर्तव्य :-**

सभी संबंधित अधिकारियों और वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को अपने सामान्य कर्तव्यों के अलावा चाहिए कि वे :-

(1) हताहतों / घायलों का विवरण तैयार करें।

(2) दुर्घटना के रेखाचित्र तैयार करें।

(3) दुर्घटना के कारण पर प्रकाश डाल सकने वाले प्रमाणों को इकट्ठा करने के लिए भरसक प्रयत्न करें।

(4) इस बात का ध्यान रखें कि जिन सूत्रों से दुर्घटना के कारण का पता लगाने में सहायता मिलने की संभावना हो, उन्हें असावधानी या कौतूहलवश हटा न दिया जाए।

(5) रेल पथ के भागों, पथ, पटरियों, फिश फ्लेटो, बोल्टों और अन्य फिटिंग तथा दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के इंजन और बोगियों की स्थानीय फोटोग्राफर / विडियोग्राफर द्वारा फोटो / विडियों शूटिंग लेने का यथाशीघ्र प्रबंध करें।

506. **रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों के कर्तव्य :-**

(1) तोड़- फोड़ या गाड़ी के पटरी से उतर जाने की सूचना मिलने पर जिस क्षेत्र में रेल दुर्घटना हुई हो, उस क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी को सभी उपलब्ध कर्मचारियों के साथ तुंरत घटना-स्थल के लिए रवाना हो जाना चाहिए।

(2) जितनी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो वह निकटस्थ रेल सुरक्षा बल के पोस्ट या आउट पोस्ट से प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(3) स्टेशन डायरी में सामान्य रूप में यह बात दर्ज करने के अलावा स्टेशन मास्टर को भी इस कार्रवाई की सूचना देनी चाहिए।

(4) सूचना प्राप्त होने पर, उस परिमंडल के परिमंडल निरीक्षक तथा मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त / सहायक सुरक्षा आयुक्त को भी घटना स्थल की ओर रवाना हो जाना चाहिए। इन मामलों में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को उपलब्ध सबसे शीघ्र साधन द्वारा भेजना चाहिए। आवश्यकता होने पर मोटर / व्हीकल किराये पर ली जा सकती है।

(5) घटना-स्थल के लिए रवाना होने से पूर्व रेल सुरक्षा बल पदाधिकारियों को, स्थानीय सरकारी रेलवे पुलिस / जिला पुलिस पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुर्घटना की सूचना उन्हें भी मिल गयी है। दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर वे अपने सामान्य कर्तव्यों के साथ ही निम्नलिखित अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करेंगे :-

(क) मलबे में से व्यक्तियों को बाहर निकालने, घायलों का प्राथमिक उपचार करने और घायल तथा अन्य व्यक्तियों को घटना-स्थल से हटाने में सहायता देना।

(ख) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के सामान तथा रेलवे सम्पत्ति की हिफाजत करना।

(ग) रेलमार्ग की पटरियों, फिशफ्लेटों, बोल्टों तथा अन्य वस्तुओं की निगरानी कर उनमें किसी भी व्यक्ति को तब तक हाथ न लगाने देना जब तक कि पुलिस पदाधिकारी घटना स्थल पर न आ जायें और उनका कार्यभार न संभाल ले।

(घ) संदिग्ध व्यक्तियों की आसपास खोज करना तथा उन सुरागों को लिख लेना जिनसे अपराध का पता लगाने में सहायता मिल सके

(च) दुर्घटना-स्थल पर यदि आग लग जाये, तो उसे बुझाना।

(छ) इस मामले की जांच-पड़ताल में सरकारी रेलवे पुलिस / जिला पुलिस को सहयोग देना।

507. **पुलिस की अनुमति मिलने तक मलबे आदि में कोई उलटफेर न करना :-** जब कभी भी तोड़-फोड़ या गाड़ी को नुकसान पहुंचानेवाले घटना स्थल पर सिविल और पुलिस पदाधिकारियों के आगमन में विलंब होता है तो, घटना-स्थल पर वरिष्ठ रेलवे पदाधिकारी अपने विवेक से कोच का कोई हिस्सा उपर उठा सकता है या आवश्यकता पड़ने पर एक हद तक किसी माल को उसकी मूल स्थिति को नोट करके हटाकर दूसरे स्थान पर रख सकता है ताकि उसके नीचे फँसे हुये व्यक्तियों को बाहर निकाला जा सकें। तथापि पुलिस से सलाह लिए बिना सामान्य यातायात की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

508. **सिविल, पुलिस और रेल पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त जांच :**

(1) तोड-फोड / गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के मामले के घटना-स्थल पर उपस्थित सबसे वरिष्ठ रेलवे अधिकारी को संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की सहायता लेकर तथा वरिष्ठ सिविल और पुलिस पदाधिकारियों के साथ – साथ दुर्घटना के कारण की विस्तृत छानबीन करना चाहिए। छान-बीन में घटना स्थल के कम-से-कम 800 मीटर पीछे तक का पूरी तरह से सर्वेक्षण करना शामिल है

(2) छान-बीन करते समय, वाहनों और रेलपथ के फिटींग आदि को जहां तक संभव हो इधर उधर नहीं हटाना चाहिए। पुलिस की सहायता से कर्मचारियों तथा बाहरी व्यक्तियों को, जिनका जांच से कोई संबंध न हो, घटना-स्थल से दूर रखने का प्रबंध करना चाहिए। जिन विभिन्न बातों का पता चले उनके विवरण के बारें में स्पष्ट शब्दों में नोट ले लेने चाहिए।

(3) दुर्घटना - स्थल पर उपस्थित सबसे वरिष्ठ अधिकारी को पुलिस से सलाह करके यह तय करना चाहिए कि किन वस्तुओं को अगली जांच के लिए सुरक्षित रखा जायेगा। इन सामानों को रेलवे तथा पुलिस की संयुक्त निगरानी में हिफाजत में रखा जायेगा। जहां तक संभव हो, सभी छोटी फिटिंगे एक पेटी या बोरे में रखनी चाहिए और उस पेटी या बोरे पर पुलिस और

	रेलवे दोनों को संयुक्त रूप से मुहर लगा देनी चाहिए, जिस सामान को पुलिस ने अपने अधिकार में ले लिया है उसकी रसीद ले लेनी चाहिए और क्षतिग्रस्त रेलपथ को हटाने से पहले उसके विभिन्न हिस्सों पर सावधानी से संख्या डाल देनी चाहिए या इस प्रकार निशान लगा देना चाहिए जिससें यदि भविष्य में जांच के समय आवश्यकता पड़े तो वही दृश्य दुबारा निर्मित किया जा सके। (4) तोड-फोड़ या गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के मामले में - दुर्घटना-स्थल की स्थिति के बारे में सबसे वरिष्ठ पुलिस और रेलवे अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से छानबीन नोट तैयार की जाये तथा उस पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। पुलिस और रेलवे अधिकारियों में यदि किसी मामले पर मत भिन्नता हो दो ऐसी मत भिन्नता संयुक्त छानबीन नोट में रिकॉर्ड करनी चाहिए।
509.	**चल स्टाक को हटाना और उसका परिक्षण करना :-** (1) बिना क्षति पहुंचे हुये चल स्टाक को हटाना – जिस चल स्टाक को कोई नुकसान न पहुंचा हो और जो रेलपथ पर खड़ा हो, उसे दुर्घटना – स्थल पर उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की लिखित अनुमति से हटाया जा सकता है। ऐसे चल स्टाक को सबसे निकटवर्ती सुविधाजनक स्टेशन पर स्टेबल कर देना चाहिए जहां इन फिटिंगों का आगे परिक्षण वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर / मंडल यांत्रिक इंजीनियर / सहायक यांत्रिक इंजिनियर की देख रेख में किया जा सके। (2) दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त चल स्टाक को हटाना तथा उसकी परीक्षा करना : वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर / मं.यां.इंजी./सहा.यां.इंजी.को वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के साथ, दुर्घटना के क्षतिग्रस्त इंजन तथा वाहनों की विस्तृत परीक्षा करनी चाहिए। सभी खराबियों और कमियों को सावधानी से लिख लेना चाहिए तथा जिन खराबियों और कमियों के कारण गाड़ी के पटरी से नीचे उतरने की सम्भावना रही हो, उनके बारें में खास तौर पर टिप्पणी देनी चाहिए तथा यह भी बताना चाहिए कि ये नयी प्रतीत होती है या पुरानी तथा इस टिप्पणी पर पुलिस पदाधिकारी के हस्ताक्षर कराने चाहिए। इन टिप्पणियों का उपयोग संयुक्त जांच में अंतिम नोट तैयार करते समय करना चाहिए। इन वाहनों को हटाने की कार्रवाई का आरंभ निम्नलिखित पैरा 512 के अनुसार ही करना चाहिए।
510.	**अधिकारियों द्वारा घटना-स्थल की जांच तथा नोट और ड्राइंग तैयार करते समय ध्यान में रखने योग्य विशेष बात :** तोड-फोड़ या गाड़ी को नुकसान पहुंचाने दुर्घटना-स्थल की जांच करते समय अधिकारियों तथा पर्यवेक्षक कर्मचारियों को निम्नलिखित बातें नोट करनी चाहिए :- (1) इंजनों तथा वाहनों के रूक जाने की सही स्थिति तथा उनके टूटे हुये हिस्से किन स्थानों पर पड़े हुये मिले। (2) पटरियों और अन्य हिस्से जैसे स्लीपर, फिश प्लेट, बोल्ट, नट, कुत्ता कीले आदि किस सही स्थिति में पाये गये। (3) स्लीपरों, पटरियों तथा अन्य फिटिंगों पर पहियों के निशान और दुर्घटना से हुई अन्य क्षति। (4) अपनी जगह से हटने के स्थान या स्थानों पर पटरियों के सिरों की जांच कर यह देखना कि गड्डे या दरारे है या नहीं और दरारें लम्बाकार हैं या क्षैतिज। (5) अपने स्थान से हटी हुई किसी पटरी, उसकी सामान्य अलाईनमेंट और लैंडिंग पटरी के संदर्भ में पहियों की स्थिति। (6) कम से कम 800 मीटर पीछे तक रेलपथ की हालत। (7) यदि उस दुर्घटना की स्थिति के कारण आवश्यक हो तो – (क) सिगनलों, कांटो और सिगनल लीवरों तथा ब्लाक उपकरणों की स्थिति और दशा का निरीक्षण करना चाहिए। (ख) स्टेशन पर लगायी गयी अन्तर्पारशन-व्यवस्था के कार्य की जांच करनी चाहिए (ग) गाड़ियों की आवाजाही संबंधी गाड़ी सिगनल रजीस्टर, प्राईवेट नंबर शीट और लाईन प्रवेश पुस्तक सहित, अपने अधिकार में कर लेना चाहिए और उन्हें सावधानी से संभालकर रखना चाहिए। जहां लाइन बिल्ले काम में लाये जाते हो वहां यह बात लिख लेनी चाहिए कि संबंधित प्रत्येक लाइन बिल्ले किसके-किसके पास थे । ☐ (8) कर्मचारियों के बयान रिकार्ड कर लेने चाहिए।☐
5.11	**फोटो लेने और विडियोग्राफी का प्रबंध :** सभी आवश्यक पहलुओं के फोटो लेने तथा विडियोग्राफी का प्रबंध करना चाहिए। जब तक रेलवे फोटोग्राफर / विडियोग्राफर दुर्घटना-स्थल पर न पहुंच जाये, तब तक किसी विश्वसनीय स्थानीय फोटोग्राफर / विडियोग्राफर की सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। **नोट**: गंभीर दुर्घटनाओं के वीडियो कैसेट को इधर-उधर क्लिपिंग न बनाकर तैयार किया जाना चाहिए बल्कि कोंचों की स्थिति, कोचों के अंडर गियर तथा इंजन, रेलो , ट्रैक आदि की स्थिति को विशेष रुप से दिखाते हुए लगातार रुप से वीडियो शुटिंग की जानी चाहिए और सुराग जो ट्रेन दुर्घटना में हो सकते है, उसकी जानकारी जांच प्राधिकारी को दी जाएं, विवेकपूरक तरीके से स्थिर फोटोग्राफ भी लेनी चाहिए।
512.	**संचार व्यवस्था पुन:आरंभ करना :** संचार व्यवस्था पुन:आरंभ करने का कार्य तभी हाथ में लेना चाहिए जब छानबीन और परिक्षण-कार्य पूरा कर लिया जाये संयुक्त नोट तथा रेखा चित्र तैयार कर लिया गया हो तथा पुलिस और सिविल अधिकारियों ने यह लिखकर दे दिया हो कि उनकी छानबीन पूरी हो गयी है और उसके आगे किसी निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

513.	**आयुक्त रेल सुरक्षा की जांच या किसी अन्य जांच के लिए प्लान तैयार करना :** आयुक्त रेल सुरक्षा की जांच या अदालती जांच के लिए आयामात्मक रेखा चित्र तैयार करना चाहिए जो आरंभ में बनाये गये रेखाचित्र की प्रतिकृति होगी। सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी को जांच के दौरान साक्ष्य देते समय अपने दिये गये बयान के परिशिष्ट के रूप में रेलवे और पुलिस प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर किये हुए लिखित नोट की प्रतिलिपियां संलग्न करनी चाहिए।
514.	**नोट तथा प्लान सावधानीपूर्वक रखे जाएं :** दुर्घटना- स्थल पर जो विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित हुए हों, उनके सभी नोट और रेखाचित्र, जिनमें उन्होंने घटना के बारे में अपने निरीक्षण लिखे हो, भविष्य में उपयोग करने के लिए सावधानी से संभाल कर रखनी चाहिए जिससे बाद में जांच-पड़ताल, अगली छानबीन या अदालती कार्रवाई में इन अधिकारियों, पदाधिकारियों द्वारा साक्ष्य की आवश्यकता होने पर इनका उपयोग किया जा सके।

(ख) सामान्य एवं सहायक नियम अध्याय VI :- शुध्दीपत्र क्र. 9 मद क्र. 20 के अनुसार

- **स.नि.6.07(2) – तोड फोड़ अथवा तोडफोड सदृश्य स्थिती, रेलपथ पर या गाडी में विस्फोट**

(क)	तोडफोड करने या तोडफोड जैसी स्थिति, रेलपथ, पूलों अथवा अन्य फिक्स किये गये (स्थायी) प्रस्थापन पर बम विस्फोट की सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर जिसे इसकी जानकारी मिले वह प्रभावित ब्लाक सेक्शन में गाड़ियों के संचालन को रोकेगा वैसे ही डबल / मल्टीपल लाइन सेक्शनों पर बाजू वाली लाइनपर भी गाड़ी संचालन रोकेगा और सेक्शन नियंत्रक के साथ सलाह कर स. नि. 6.07(1)(घ) के अनुसार कार्रवाई करेगा परंतु केवल रेल अनुरक्षण मशीन / टॉवर वैगन / लाइट इंजीन को गाडी संचालन के लिए लाइन सुरक्षित है यह सुनिश्चित करने के लिये भेजेगा।
(ख)	विस्फोट को सुनते ही, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंजन चालक गाड़ी को रोकेगा, और खराबी की मात्रा का पता लगाने के लिए गार्ड के साथ विस्फोट स्थल की जांच करेगा: यदि उचित समय में इंजन चालक गाड़ी को खड़ा नहीं कर सका तो गार्ड, गार्ड वैनवाल्व से एअर प्रेशर को सतर्कतापूर्वक प्रयोगकर इंजन चालक का ध्यान आकर्षित करेगा।
(ग)	इंजन चालक गार्ड के साथ गाड़ी की जांच करेगा और यदि गाड़ी को कम मात्रा में क्षती पहुंची है या क्षति नहीं हुई है तथा अगले ब्लाक स्टेशन तक गाड़ी सुरक्षित ले जा सकता है तो, गाड़ी को अगले ब्लाक स्टेशन तक आगे ले जाएगा और गार्ड तथा इंजन चालक संयुक्त रूप से घटना की रिपोर्ट डयूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को देगे।
(घ)	यदि रेलपथ को गंभीर क्षति पहुँची हे जिससे रेलपथ असुरक्षित हो गया है तो सा. नि. 6.03 के अनुसार दुर्घटना स्थल को संरक्षित करने के लिए सक्षम रेल कर्मचारी तैनात किया जाएगा।

- स.नि.6.07(3) इंजन चालक और / या गार्ड जब जिस लाइन पर उनकी गाडी गुजरी है उस लाइन पर अथवा बाजू वाली रेल पथ पर कुछ अवरोध अन्य कोई असुरक्षित स्थिति महसूस करते है और उनके विचार में वह सुरक्षित गाडी चलाने में हानिकारक है तो ऐसी स्थिती में वह निम्नलिखीत समाधानात्मक कार्रवाई करेगा।

(क)	उसके इंजन के फ्लैशर लाइट को तुरंत आँन करेगा।
(ख)	उपलब्ध संचार साधनों के माध्यम से संबंधित स्टेशन मास्टर (मास्टरों) / नियंत्रण कक्ष को सूचित करेगा और साथ साथ
(ग)	गाड़ी रोकेगा और सा.नि.3.62 के शर्तो के अनुसार खतरे का हाथ सिगनल दिखाते हुए उक्त लाइन को सुरक्षित करेगा।
(घ)	तदोपरांत, वह फ्लैशर लाइट को आँन रखते हुए अगले स्टेशन तक सतर्कतापूर्वक यात्रा जारी रखेगा, और
(च)	वॉकी-टॉकी पर संपर्क स्थापित करके अथवा संचार के लिए उपलब्ध अन्य साधनों द्वारा तथा खतरे का हाथ सिगनल दर्शाकार प्रभावित रेलपथ पर आनेवाली किसी गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रहेगा।
(छ)	विरूध्द दिशा से आनेवाली गाड़ी के इंजन चालक फ्लैशर लाइट आँन देखने पर अवरोध के पहले उसकी गाड़ी रोकने की तुरंत कार्रवाई करेगा और यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि लाइन जिसपर वह जा रहा हैं वह अवरोधमुक्त है तभी आगे बढ़ेगा। यदि, उसे पता चलता है कि लाइन जिसपर वह जा रहा है अवरूध्द है तो सा. नि. 6.03 के अनुसार गाड़ी को संरक्षित (बचाव) करेगा।
(ज)	अगला स्टेशन आने पर वह घटना के संबंध में स्टेशन मास्टर को लिखित मेमो देगा।
(झ)	ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, स्टेशन मास्टर स. नि. 6.07(1) (ग) से (छ) में बताए गए अनुसार कार्रवाई करेगा।

(सुरेश कुमार एन टी)
वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी/सोलापुर